पत्रांक 8787 / गो0,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय सिवान।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
सिवान।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

दिनांक– 12 दिसम्बर, 2015

विषय :– विगत छः माह के अन्दर उपलब्धि से संबंधित विवरणी भेजने के संबंध में।

——— 0 0 0 ———

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना हैं कि विगत छः माह के अन्दर सिवान जिले की उपलब्धि से संबंधित विवरणी निम्न है :–

- साम्प्रदायिक :– सिवान जिला साम्प्रदायिक दृष्टिकोण काफी संवेदनशील रहा है। जिले में छोटी–छोटी बातों को लेकर भी गंभीर तनाव उत्पन्न होने संभावना बनी रहती है।
- महाबीरी अखाड़ा :– सिवान जिले में महाबीरी झंडा का त्योहार काफी संवेदनशील एवं चुनौती पूर्ण रहता है, जो अगस्त से प्रारम्भ होकर दुर्गापूजा तक चलता है। विगत वर्ष में महाबीरी झंडा के अखाड़ा के दौरान बड़हरिया थाना अन्तर्गत गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी तथा कई जगहों पर दोनों साम्प्रदायों के बीच मार पीट एवं पत्थबाजी की घटना हुई थी, जिसे शांत कराने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग एवं फायरिंग भी कराया गया था। उसके उपरान्त ही शांति व्यवस्था कायम किया जा सका। इस वर्ष प्रशासनिक सतर्कता के फलस्वरूप कही से भी किसी प्रकार की अप्रीय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा महाबीरी झंडा के त्योहार को पुरे जिले मतें शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराया गया।
- इस वर्ष भी दुर्गापूजा एवं मुहर्रम का त्योंहार एक ही तिथि में पड़ जाने के कारण स्थानीय प्रशासन के लिए शांतिपूण ढंग से सम्पन्न कराना काफी चुनौती पूर्ण था। दुर्गापूजा एवं मुहर्रम एक ही तिथि को हो जाने के कारण नगर थाना का शहरी क्षेत्र एवं हुसैनगंज थाना अन्तर्गत ग्राम–इथौड़ा, छाता एवं हरिहास काफी संवेदनशील था। उक्त दोनों त्योंहारों के दौरान विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी संवेदनशील स्थनों पर विशेष प्रतिनियुक्ति की गयी थी तथा सभी जगहो पर शांति समिति का बैठक कर दोनों साम्प्रदाय के लोगों को शांति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व सौपा गया था। प्रशासनिक सतर्कता एवं सुझबुझ के फलस्वरूप दोनों त्योंहारों को शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराया गया।
- विगत छः माह के अन्दर कुछ साम्प्रदायिक घटनायें प्रतिवेदित हुई थी, जिसे प्रशासन की सतर्कता के कारण शीघ्र काबु किया जा सका। उक्त घटनाओं की विवरणी निम्न है :–

1. दिनांक 18.11.15 को सुबह 08:00 बजे एम0एच0 नगर थानान्तर्गत हसनपुर घाट पर ग्राम हसनपुरा के कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा छठ घाट पर पहुँचकर अशोक कुमार साह एवं उनकी पत्नी के साथ मारपीट एवं दुर्व्यहार किया गया, जिसके कारण हिन्दु पक्ष के लोग हसनपुरा चौक को जाम कर दिये तथा दोनों पक्षों के बीच गंभीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त त्वरित कार्रवाई करते हुये स्थानीय प्रशासन के द्वारा मामले को शांत कराया गया तथा शांति समिति की बैठक की गई। इस घटना में शामिल असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। वर्त्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। इस संबंध में हुसैनगंज (एम0एच0 नगर) थाना कांड सं0 311/15 दिनांक 18.11.15 धारा 147/148/149/323/354/379/504/506 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है।
2. मुफसिल थाना अन्तर्गत ग्राम–सरावे में दिनांक–22.10.15 को हिन्दु समुदाय के कुछ लोग रास्ते के बगल में प्रोजेक्टर पर सिनेमा देख रहा था, उसी समय मुस्लिम साम्प्रदाय के लोग मुहर्रम का माटी कोड़ने जा रहा था। रास्ता पर से हटने को लेकर दोनों समुदाय के लोगों के बीच बकझक के उपरान्त पत्थरबाजी की घटना प्रतिवेदित हुई। इसकी सूचना प्राप्त होने पर तुरत स्थानीय प्रशासन के द्वारा पहुँचकर घटना को शांत कराया गया एवं दोनों पक्षों के बीच शांति समिति की बैठक की गयी। इस घटना के संबधं में मुफसिल थाना कांड संख्या–428/15 दिनांक–22.10.15 धारा–147/148/

149/427/295/153ए/504 भा0दं0वि0 एवं 3(1)(X) एस0सी0एस0टी0 एक्ट एवं 429/15, दिनांक–22.10.15 धारा–147/148/149/437/323/337/427/153ए/298 भा0दं0वि0 दर्ज किया गय है। दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है।

3. पचरूखी थाना अन्तर्गत ग्राम–चांप टोला टेघड़ा में विपीन सिंह को मोटर साईकिल से आने के क्रम में दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा पूर्व के विवाद को लेकर मार पीट की गयी, जिसके कारण दोनों गंभीर साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। स्थानीय प्रशानिक सतर्कता के फलस्वरूप मामले को शांत कराया गया तथा इस संबधं में पचरूखी (सराय) थाना कांड संख्या–299/15 दि0–13.11.15, धारा–147/148/149/341/323/324/307/337/338/295ए/504 भा0दं0वि0 एवं 300/15 दिनांक–13.11.15, धारा–14/148/149/341/323/324/307/ 295ए/ 504 भा0दं0वि0 दर्ज किया गया है तथा दोनों पक्षों के असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है।

4. दिनांक 19.11.15 को बसंतपुर थानान्तर्गत ग्राम छठ पूजा मे घाट पर हुये मारपीट एवं बकझक की घटना को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया तथा दोनो पक्ष आमने–सामने हो गये। स्थानीय प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये मामले का निराकरण कर स्थिति का नियंत्रित किया गया तथा शांति समिति का बैठक किया गया। वर्त्तमान में किसी प्रकार की तनाव की सूचना नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है। शरारती तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।

5.

➢ विधानसभा चुनाव :– विधानसभा चुनाव सिवान जिले में दिनांक–01.11.15 को सम्पन्न हुआ। चुनाव को शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु अवैध शराब की बरामदगी/अवैध हथियार की बरामदगी, असामाजिक तत्वों जिनके द्वारा चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की संभावना थी, उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गयी। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चलाये गये अभियान के दौरान अवैध शराब, आग्नेयास्त्र की बरामदगी एवं गिरफ्तारी, वारंट निष्पादन एवं कुर्की निष्पादन की विवरणी निम्न है :–

क0	कार्रवाई की विवरणी	संख्या
1	अवैध आग्नेयास्त्र	19
2	अवैध गोली	52
3	धारा 107 के अन्तर्गत की गयी निरोधात्मक कार्रवाई	13790
4	वारंट निष्पादन	3137
5	सी0सी0ए0 के अन्तर्गत समर्पित प्रस्ताव	184
6	अवैध शराब की बरामदगी	44531 ली0
7	वाहन चेकिंग के दौरान फाईन की गयी राशि	1877500

➢ गंभीर अपराध :–

1. दरौली थानान्तर्गत दिनांक 03.11.15 को राम विलाश कुँवर पे0 स्व0 सागर सिंह, सा0 खापपुनक, थाना दरौली, जिला सिवान को भूमि विवाद के कारण हत्या कर दिया गया था। इस संबंध में वादी राधाकृष्ण सिंह के फर्दब्यान के आधार पर दरौली थाना कांड सं0 183/15 दिनांक 03.11.15 धारा 147/148/149/341/324/307/302 भा0दं0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट अभियुक्त रविन्द्र सिंह एवं अन्य 5 नामजद अभियुक्त तथा 4–5 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। इस कांड में संलिप्त अभियुक्त छबीला सिंह एवं केदारराम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।

2. दिनांक 12/13.11.15 की रात्रि में दरौंधा थानान्तर्गत ग्राम रामगढ़ा के माधो सिंह को सोये हुये अवस्था में अभियुक्तों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में वादी सत्य प्रकाश सिंह पे0 लालबाबु सिंह, सा0 रामगढ़ा के फर्दब्यान के आधार पर दरौंधा थाना कांड सं0 296/15 दिनांक 13.11.15 धारा 302/34 भा0दं0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट नामजद अभियुक्त जनक सिंह के विरूद्ध दर्ज किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

3. दिनांक 15.11.15 को करीब सुबह 07:00 बजे पचरूखी रेलवे स्टेशन के पास से अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा खाद व्यवसायी हरिशंकर सिंह का अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में अपहृत व्यवसायी के भाई के लिखित बयान के आधार पर पचरूखी थाना कांड सं0 301/15 दिनांक 15.11.15 धारा 364(ए)/34 भा0द0वि0 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। घटना के बाद विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी। इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृत की बरामदगी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन कर लगातार छापामारी कराई गयी। दस दिनों के अन्दर कांड का उदभेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुत पप्पु सिंह, सविता देवी, अरविन्द सिंह, नकुल मांझी, प्रींस कुमार, प्रवेन्द्र सिंह, अजय सिंह, गीता देवी, शीला कुमारी एवं अनिल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरास में भेजा गया है तथा अभियुक्त की निशानदेही पर अपहृत व्यवसायी हरिशंकर सिंह का क्षत–विक्षत हालत में शव बरामद कर लिया गया है।

विगत छः माह के अन्दर अवैध शराब की बरामदगी, गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या, वारंट एवं कुर्की निष्पादन की विवरणी निम्न है

1. गिरफ्तार अभियुक्तो की संख्या–6119
2. जेल भेजे गये अभियुक्तों की संख्या–1513
3. वारंट निष्पादन–4859
4. कुर्की निष्पादन–173
5. देशी शराब की बरामदगी–48527 लीटर
6. देशी आग्नेयास्त्र–27
7. गोली–55
8. मोबाईल–42
9. जप्त वाहन की संख्या–100
10. गांजा–05 किलो 500 ग्राम
11. नौशादर–05 किलो
12. हीरोईन–70 ग्राम
13. अफीम–10 ग्राम

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन,

12-12-15

पुलिस अधीक्षक,
सिवान।

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस उप–महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

12-12-15

पुलिस अधीक्षक,
सिवान।